

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 92/12

संस्थापन दिनांक:-12/02/12

फाईलिंग नं. 233504000402012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सुनील पिता मन्नू किराड़
 उम्र 25 वर्ष, निवासी हरनाखेड़ी,
 थाना मुलताई, जिला बैतूल,
 हाल निवासी अंधारिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.02.2012 को रात्रि करीब 10:00 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत गोदी व शिवपुरी के बीच रोड पर पिकअप वाहन क्र. एमपी-12-जी-0232 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित कर आहत दिलीप की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर दिलीप को उपहति एवं चैतराम को घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि जी.पी. रम्हारिया को दिनांक 06.02.2012 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए आमला अस्पताल से प्राप्त मेमो की जांच की गयी एवं आहत दिलीप एवं चैतराम का मुलाहिजा करवाया गया। जांच में पाया गया कि दिनांक 05.02.2012 को करीब 10 बजे वाहन पिकअप क्र. एमपी-12-जी-0232 के चालक सुनील किराड़ ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर मोटर सायकिल चालक दिलीप व चैतराम को टक्कर मार दिया जिससे दोनों को चोटें आयी। अस्पताल से प्राप्त मेमो की जांच उपरांत थाना आमला में पिकअप क्र. एमपी-12-जी-0232 के चालक सुनील के विरुद्ध अपराध क्र. 56/12 पंजीबद्ध

कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से पिकअप क्र. एमपी-12-जी-0232 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत चैतराम की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर पिकअप वाहन क्र. एमपी-12-जी-0232 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित कर आहत दिलीप की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर दिलीप को उपहति एवं चैतराम को घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 दिनेश सोनी (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह सीएचसी आमला में कंपांडर के पद पर पदस्थ है और वह डॉ. रोहित के हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित हैं। दिनांक 06.02.12 को डॉ. रोहित के द्वारा आहत चैतराम का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था जिसमें डॉ. रोहित ने आहत के दाहिने घुटने पर दर्द और सूजन पायी थी एवं आहत के दाहिने कूल्हे पर 5 गुणा 3 के एरिया में सूजन एवं दर्द पायी थी जिसके लिए डॉ. रोहित द्वारा एक्सरे की सलाह दी गयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है

कि उक्त दिनांक को ही डॉ. रोहित ने आहत दिलीप के परीक्षण में आहत के दाहिने घुटने पर 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोज पायी थी। साक्षी ने डॉ. रोहित द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 में डॉ. रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

7 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-4) ने दिनांक 06.02.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को डॉ. पदमाकर द्वारा आहत चैतराम को दांयी जांघ, दांये घुटने, दांये टखने तथा पित्तिस के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 1086 है। एक्सरे में दांयी फीवर का उपरी सिरा तथा मीडियर कांडाइल तथा दांयी फीबुला का उपरी सिरा टूटा हुआ था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) को प्रमाणित किया है।

8 लख्खू साहू (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 06.02.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 56/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) एवं दिनांक 13.02.2012 को अभियुक्त से पिकअप क्र. एमपी-12-जी-0232 मय दस्तावेज जप्त कर (प्रदर्श प्री-4) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत चैतराम को अस्थिभंग पाये जाने पर उसने अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया था।

9

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

10 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ग्राम ससाबड़ अंधारिया के बीच मेन रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मिनी बस क्र. के.एल.-03-के.-7498 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त अविनाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

11 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

12 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप आहत को घोर उपहति होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

13 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा बस क्र. कै.एल.-03-के.-7498 को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की जाना, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

14 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा न्यायदृष्टांत राज्य वि. गुलाम मीर ए.आई.आर. 1956 एम.बी.141 में प्रतिपादित सिद्धांत एवं भा.दं.सं. की धारा 71 के प्रावधानों के आलोक में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध में से केवल भा.दं.सं. की धारा 338 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए छः माह के सश्रम कारावास तथा 500/- रु. के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

15 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा

जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16 प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप वाहन क्र. एमपी-12-जी-0232 आवेदक/सुपुर्ददार त्रिलोचन पिता मोहनसिंह निवासी गणेश वार्ड, रमली रोड आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

17 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)